न्यायालय :– व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 मण्डलेश्वर प0नि0

(समक्ष–श्रीमती संगीता डावर मौर्य)

फा.नं. 161/2020
सी.एन.आर.नं. एम.पी.10010010762020
दिवानी प्रकरण कमांक 10–ए/20
प्रस्तुति दिनांक 18/06/2020

1. लक्ष्मण पिता ओंकार कुलमी, उम्र 50 साल,
धंधा काश्त, निवासी सोमाखेड़ी, तहसील महेश्वर
जिला खरगोन (म.प्र.)

.....वादी

–:: वि रू द्ध ::–

1. विनोद पिता हरीराम कुलमी, उम्र– 35 साल,
धंधा काश्त, निवासी सोमाखेड़ी, तहसील महेश्वर
जिला खरगोन (म.प्र.)
2. म0प्र0 शासन तर्फे श्रीमान कलेक्टर महोदय् खरगोन (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

वादी द्वारा	श्री सी.के. जैन अधिवक्ता।
प्रतिवादी क.1 द्वारा	श्री संजय शर्माअधिवक्ता।
प्रतिवादी कमांक 2	एकपक्षीय।

–:: आदेश ::–

(आज दिनांक **18/12/2020** को पारित)

01– इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. (आय.ए.नंबर 1) का निराकरण किया जा रहा है।

02– प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी कमांक 1 के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सोमाखेड़ी तहसील महेश्वर जिला खरगोन, खसरा नंबर 57, रकबा हे. 0.805 लगान रूपये 7.56 स्थित है, जो कि शासकीय राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी कमांक 1 भूमि स्वामी के

(श्रीमती संगीता डावर मौर्य)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, मण्डलेश्वर
पश्चिम निमाड़

बतौर नाम पर दर्ज है एवं यहां भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी कमांक 1 ने उक्त भूमि मांगीलाल पिता बाल्या से दिनांक 17.04.1998 को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की थी। आगे यहां भी स्वीकृत है कि प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा तहसीलदार महेश्वर के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मण्डलेश्वर में अपील की थी एवं उस आदेश में तहसीलदार द्वारा किये गये आदेश को निरस्त किया गया था तथा यह भी स्वीकृत है कि उक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग न्यायालय में द्वितीय अपील की थी, जो निरस्त की गयी थी। आगे यह भी स्वीकृत है कि उक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ में विविध याचिका प्रस्तुत की थी, जो कि वादी को दिवानी वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ निरस्त की गई थी।

03— वादी के आवेदन पत्र के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की ग्राम सोमाखेड़ी तहसील महेश्वद, जिला खरगोन में ख.नं. 58 रकबा हे. 0.689 लगान रूपये 6.19 की कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज है एवं प्रतिवादी के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की ग्राम सोमाखेड़ी तहसील महेश्वद, जिला खरगोन में ख.नं. 57 रकबा हे. 0.805 लगान रूपये 7.56 की कृषि भूमि स्थित है, जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा मांगीलाल पिता बाल्या जो कि वादी के दादा स्व. बेचर के बड़े भाई स्व. बाल्या जी का पुत्र से विकय पत्र के माध्यम से खरीदी थी।

04— वादी के द्वारा यह भी अभिवचन किये गये है कि प्रतिवादी कमांक 1 एवं वादी की भूमि साथ–साथ लगी होकर प्रतिवादी कमांक 1 की भूमि में से पन्द्रह फीट का चौड़ा रास्ता स्थित है, जिसे वादी एवं वादी के पूर्वज द्वारा उपयोग किया जा रहा था। उक्त दोनों भूमियां स्व. हरचंद के स्वत्व एवं हक की थी, जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात् दोनों पुत्र के ख.नं. 57 स्व. बाल्या के हिस्से में आई तथा ख.नं. 58 स्व. बेचर के हिस्से में आई एवं स्व. बेचर (वादी के दादाजी) के द्वारा वहां भूमि वादी के हिस्से में आई तब से स्व. बेचर, स्व. बाल्या के हिस्से में आई ख.नं. 57 में स्थित 15 फिट चौड़ा रास्ता का उपयोग अपने खेत में जाने हेतु उपयोग कर रहा था। ख. नं. 57 स्व. बाल्या के पुत्र मांगीलाल (वादी का चचेरा भाई) के हिस्से में आई। मांगीलाल द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी कमांक 1 को विकय पत्र के माध्यम से 17.04.1998 में विकय कर दी थी एवं ख.नं. 58 स्व. बेचर से वादी के हिस्से में आई तब भी वादी उक्त रास्ते का उपयोग एवं भोग कर रहा था, परंतु वर्ष 2014 में प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा वादी की भूमि खरीदने की इच्छा जाहिर की तथा उसके मना करने पर प्रतिवादी कमांक 1 ने

(श्रीमती ...ता ... गौ...)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, मण्डलेश्वर
पश्चिम निमाड

उक्त दाविया रास्ते से आने–जाने में रोक लगाकर रास्ते में फेन्सिग कराकर बंद कर दिया था, जिसको हटाने हेतु वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरूद्ध तहसीलदार के पास प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमें तहसीलदार द्वारा दाविया रास्ता खोलने का आदेश दिया गया था, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मण्डलेश्वर में अपील की थी एवं उस आदेश में तहसीलदार द्वारा किये गये आदेश को निरस्त किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग न्यायालय में द्वितीय अपील की थी, जो निरस्त की गयी थी। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ में विविध याचिका प्रस्तुत की थी, जो कि वादी को दिवानी वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ निरस्त की गई थी। वादी उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर देने से अपनी कृषि भूमि में जाने से असमर्थ हो गया था, जिससे उसको अपरिमित क्षति हो रही है।

05– वादी के द्वारा यह भी अभिवचन किया है कि उक्त दोनों भूमि ख.नं. 57 एवं ख.नं. 58 की संयुक्त मेढ पर एक पुराना कुंआ स्थित है, जो कि वादी के पूर्वाधिकारियों के हिस्से एवं बटवारे में आया था, जो कि वादी के हक का है एवं उसमें प्रतिवादी का किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार नहीं है। वादी द्वारा उसके चचेरे भाई मांगीलाल से अच्छे संबंध होने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 1 के निवेदन पर उसने भूमि सिंचाई हेतु उक्त कुंए से पानी लेने की मौखिक अनुमति–सहमति दी थी, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अपना हक एवं अधिकार जताना प्रारंभ कर दिया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 को दाविया रास्ते के खोलने एवं विवादित कुंए से पानी लेने से अवरूद्ध करने हेतु निषेधाज्ञा चाही गई है। वादी ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत अपने पक्ष में बताते हुए इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है कि प्रतिवादी ग्राम सोमाखेड़ी कृषि भूमि ख.नं. 57 रकबा हे. 0.805 की पूर्वी मेढ़ से लग कर 15 फीट चौड़ाई व पूरी मेढ़ की लंबाई की भूमि में वादी को उसकी ग्राम सोमाखेड़ी तहसील महेश्वर स्थित कृषि भूमि ख.नं. 58 रकबा हे. 0.689 में गाड़ी–बैल, आउत, खाटिया, मवेशी ट्रेक्टर व अन्य कृषि उपकरण सहित आने जाने के भाई बंटवारे के रास्ते पर किये अवरोध को स्वयं के व्यय से हटाकर वाद के निराकरण तक स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से उक्त रास्ते पर कोई अवरोध उत्पन्न ना करें व ना करावें।

06– प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा वादी के उक्त आवेदन पर लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर वादी के सभी अभिवचनों को अस्वीकार किया है एवं यहां विशेष कथन किया गया है कि वादी की कृषि भूमि ख.नं. 58 में आने–जाने के लिये वहिवाटी रास्ता उत्तर दिशा से है, जिसके संबंध में धारा 131 म.प्र. भुराजस्व संहिता का प्रकरण

(श्रीमती संगीता डावर मौर्य)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मण्डलेश्वर
पश्चिम निमाड़

चल चुका है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. इंदौर द्वारा अंतिम निराकरण कर वादी की याचिका निरस्त की गयी थी एवं वादी का कोई भी परम्परागत रास्ता नहीं है, दोनों राजस्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के द्वारा स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट में वादी की भूमि पर फसल खड़ी होना पाया एवं प्रतिवादी कमांक 1 की जमीन से कोई रास्ता न होना पाया गया एवं विवादित कुंआ प्रतिवादी कमांक 1 के हक का है एवं उसमें उसके द्वारा बिजली का कनेक्शन लेकर उसका उपयोग आज तक करते चला आ रहा है एवं इस आधार पर प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा वादी का आवेदन सहव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

07— प्रकरण में प्रतिवादी कमांक 2 म0प्र0 शासन की अनुपस्थिति से उसके विरूद्ध दिनांक 10.08.2020 से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

08— उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैः—

1— क्या प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में है ?
2— क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3— क्या वादी को अपूरणीय क्षति होने की सभावना है ?

—ःविचारणीय प्रश्न कमांक 01 पर सकारण निष्कर्षः—

09— किसी भी पक्षकार द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद स्थापित करने हेतु यहां पर पर्याप्त है कि उसके द्वारा अपने इप्सित अधिकार के संबंध में एक विचारण योग्य प्रश्न उठाया गया हो। प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा प्रतिवादी कमांक 1 की भूमि में से वादी की भूमि में आने—जाने हेतु रास्ते के संबंध में एवं विवादित कुंए के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं व्यादेश की सहायता चाही गई है, जिसके संबंध में वादी के द्वारा प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने हेतु उसने अपने आवेदन के साथ में वादी ने स्वयं के एवं अन्य साक्षीगण के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में स्वयं की हस्तलिपि में वंश वृक्ष एवं नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है, जिसके अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी की भूमि साथ—साथ लगी होना दर्शित होता है एवं जिसके खंडन में प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा ख.नं. 57 विकय पत्र व उसकी भूमि का खसरा, ट्रेस नक्शा, विवादित कुंआ व बिजली का बिल प्रस्तुत किया है, जिसके अवलोकन से प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा खरीदी गई भूमि में किसी भी प्रकार का रास्ता होना दर्शित नहीं है एवं कुंए के संबंध में भी प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा बिजली बिल प्रस्तुत किया गया है, परंतु वादी द्वारा उसकी खंडन

(श्रीमती संगीता डावर मौर्य)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मण्डलेश्वर
पश्चिम निमाड

में ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है और ना ही वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि में आवागमन के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज पेश किया है और ना ही आपसी बंटवारो के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज पेश किया है और ना ही कोई ऐसा कोई स्पष्ट अभिवचन किया है, जिससे यह दर्शित हो कि वादी उक्त विवादित रास्ते का उपयोग कर रहा है। वादी द्व ारा प्रस्तुत वंश वृक्ष के संबंध में कोई ऐसा स्पष्ट अभिवचन एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट हो कि उक्त विवादित रास्ते में किस प्रकार से और कितने समय से उपयोग किया जा रहा था एवं उसके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई मार्ग स्थित नहीं है, मात्र हस्तलिपि में दर्शाये गये नक्शे से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त रास्ते का उपयोग वादी द्वारा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना दर्शित नहीं होता है।

–:विचारणीय प्रश्न कमांक 02 पर सकारण निष्कर्षः–

10– "सुविधा का संतुलन के संबंध में यह नियम है कि निषेधाज्ञा जारी किये जाने से विपक्ष को होने वाली असुविधा निषेधाज्ञा जारी न किये जाने पर आवेदक को होने वाली असुविधा की तुलना में अधिक होगी।" हस्तगत मामले में वादी द्वारा प्रतिवादी कमांक 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी के खेत से पन्द्रह फीट चौडा रास्ता जिसका उपयोग वादी द्वारा अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ते को खोलने एवं प्रतिवादी कमांक 1 तथा वादी के खेत की मेढ में लगे कुंए से प्रतिवादी कमांक 1 को पानी लेने से रोकने के संबंध में चाही गई है। वादी द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज एवं अभिवचन से यह दर्शित नहीं है कि उक्त रास्ते का उपयोग वादी द्वारा किया जा रहा था और उसके आधिपत्य में कोई अन्य रास्ता नहीं है एवं उक्त विवादित कुंआ एक मात्र वादी के आधिपत्य का है और दूसरी तरफ प्रतिवादी कमांक 1 के उपयोग एवं उपभोग के संबंध में बिजली बिल प्रस्तुत किये गये है, जिससे दर्शित है कि वहां उक्त कुंए का उपयोग करते आ रहा है। यदि वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा दी जाती है एवं प्रतिवादी कमांक 1 को कुंए के पानी लेने से वंछित किया जाता है तो प्रतिवादी कमांक 1 अपने खेत में पानी लेने से वंछित हो जाता है, जिससे उसे वादी के तुलना में अधिक हानि होने की संभावना है। अत : ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में ना होना पाया जाता है।

–:विचारणीय प्रश्न कमांक 03 पर सकारण निष्कर्षः–

11– जहां तक अपूर्ण क्षति का प्रश्न है कि इस संबंध में सुस्थापित विधि यह है कि "अपूर्ण क्षति ऐसी क्षति है, जिसका प्रतिकर धन

(श्रीमती संगीता डांगर मौर्य)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मण्डलेश्वर
पश्चिम निमाड़

के माध्यम से नहीं किया जा सकता या जहां नुकसान मापने का कोई निश्चित मानक ना हो।" वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अभिवचन किया है कि वहां वर्ष 2014 से उक्त रास्ते का उपयोग एवं उपभोग नहीं कर रहा है। इस संबंध में वादी द्वारा ऐसा कोई फोटोग्राफ या अन्य दस्तावेज पेश नहीं किया है कि उसे किस प्रकार से अपूर्ण क्षति होगी, मात्र अभिवचन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसे अपूर्ण क्षति होगी एवं वहीं दूसरी ओर विवादित कुंए के संबंध में प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा उक्त कुंए का उपयोग एवं उपभोग उसकी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु किया जा रहा है, यदि उसे वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रतिवादी कमांक 1 उक्त कुंए से पानी लेने से वंछित हो जायेगा, जिससे उसको सिंचाई के लिए असुविधा होगी और अपूर्ण क्षति होने की संभावना होगी। अतः ऐसी स्थिति में अपूर्ण क्षति का प्रश्न वादी के पक्ष में ना होना पाया जाता है।

12– अतः सम्पूर्ण विवेचना अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादी के पक्ष में होना प्रमाणित नहीं है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39, नियम 1 व 2 सी.पी.सी. (आई.ए.नं. 1) निरस्त किया जाता है।

13– यह आदेश प्रकरण के लम्बान तक या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का प्रकरण के गुणदोषों के आधार पर किए गए निराकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आदेश खुले न्यायालय में उदघोषित, दिनांकित, हस्ताक्षरित कर .पारित किया। मेरे उदबोधन पर टंकित।

(श्रीमती संगीता डावर मौर्य)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 मण्डलेश्वर
पश्चिम निमाड़

(श्रीमती संगीता डावर मौर्य)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मण्डलेश्वर
पश्चिम निमाड

(श्रीमती संगीता डावर मौर्य)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 मण्डलेश्वर
पश्चिम निमाड़

(श्रीमती संगीता डावर मौर्य)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मण्डलेश्वर
पश्चिम निमाड